FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0029 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 01/02/2026 20:43 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 14/12/2025 **Date To (दिनांक तक):** 29/01/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:20 बजे **Time To (समय तक):** 15:24 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 01/02/2026 **Time (समय):** 20:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 01/02/2026 20:43:43 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 100 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** KARALYA PANCHYAT SAMITI SEKHAL, JILA JODHPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** KANWAR SINGH RATHOR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SHAITAN SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1967 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	VISHVKARMA NAGAR GRAM KETU, PANCHYAT SAMITI SEKHALA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	VISHVKARMA NAGAR GRAM KETU, PANCHYAT SAMITI SEKHALA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAJENDRA		पिता:MOHANRAM	1. MANDOR RELWAY STATION KE PICHHE,PAITHALAV NADI MANDOR,MANDOR,JODHPUR CITY,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण (राजस्थान) विषय- रिश्वत लेते हुए पकडवाने बाबता मान्यवरजी निवेदन है कि मै कंवर सिंह राठौड पुत्र श्री शैतान सिंह जाति राजपूत उम्र 59 वर्ष निवासी विश्वकर्मा नगर केतु मदा तहसील सेखाला जिला जोधपुर का निवासी हॅु। मेरे फर्म नागाराणाराय इन्टरप्राईजेज केतु मदा का ग्राम पंचायत केतु मदा में निर्माण कार्यो के मेटेरियल सप्लाई का टेन्डर हो रखा है। वर्तमान मेरी फर्म का ग्राम पंचायत से विभिन्न कार्यो के मेटेरियल के बदले 6 प्रतिशत कमिशन मांग रहा है। कुछ भुगतान पहले कार्यो का किया उसका भी मांग रहा है ग्रा. पं. केतु मदा के ग्राम विकास अधिकारी श्री राजेन्द्र इसके बदले मेरे से 10,000/- रूपये की रिश्वत मांग रहा है मै मेरे वाजिब कार्यो कि रिश्वत नही देकर रिश्वत लेते राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी को पकडवाना चाहता हॅु उक्त रिश्वत राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी मेरे से नही लेकरमेरे पुत्र सुरेन्द्र सिंह से लेगा मेरी राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी से कोई रंजिस नही है उसकी कोई हमारे से लेन-देन बकाया नही है उक्त रिश्वत राशि मेरे पुत्र सुरेन्द्र सिंह राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी को देगा तथा सुरेन्द्र ही उससे इस बाबत करेगा। दिनांक-14-12-2025 प्रार्थी कंवर सिंह राठौड पुत्र श्री शैतान सिंह जाति राजपूत निवासी विश्वकर्मा नगर केतु मदा तहसील सेखाला जिला जोधपुर मो.नं.

कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण कार्यवाही पुलिस दिनांक 14-12-2025 समय- 10.20 एएम इस समय मन पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण के समक्ष कार्यालय हाजा में उपस्थित होकर परिवादी श्री कंवर सिंह राठौड पुत्र श्री शैतान सिंह जाति राजपूत उम्र 59 वर्ष निवासी विश्वकर्मा नगर केतु मदा तहसील सेखाला जिला जोधपुर ने एक हस्तलिखित रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया गया। परिवादी ने यह भी बताया कि आरोपी राजेन्द्र मेरे से रिश्वत राशि की वार्ता नही करेगा मेरे पुत्र सुरेन्द्र सिंह राठौड से वार्ता करेगा जिस पर आईंदा सुरेन्द्र सिंह राठौड से सम्पर्क कर मांग सत्यापन वार्ता करवाई जायेगी वक्त- 10.50 एएम इस समय परिवादी श्री कंवर सिंह राठौड ने अपने स्तर पर गोपनीय रूप से संदिग्ध आरोपी की उपस्थिति के बारे में पता कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज रविवार होने से संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी ग्राम केतु मदा में नही है। आज रविवार का अवकाश होने से आज वो नही मिलेगा। कल दिनांक 15-12-2025 को सोमवार को ग्राम केतु मदा में मिल जायेगा। जिस मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कल दिनांक 15-12-2025 को मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर परिवादी को गोपनीयता का हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 15-12-2025 वक्त- 8.30 ए.एम. इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय के कानि श्री रामकिशोर को तलब कर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर नया मैमोरी कार्ड डालकर मैमोरी कार्ड एवं डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर खाली होना सुनिश्चित कर कानि श्री रामकिशोर को चलाने की समझाईश कर सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर श्री रामकिशोर को देकर हिदायत दी गई कि ग्राम केतु मदा पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड कर लाने हेतु गोपनीयता की आवश्यक हिदायत के रवाना किया। समय- 05.50 पी.एम.इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री रामकिशोर कानि. ने जरिये वाटसएप कॉल कर अवगत करवाया कि मै कार्यालय से रवाना होकर केतु मदा पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी से मिला। तत्पश्चात परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड ने अपने स्तर पर पता किया गया तो संदिग्ध आरोपी ग्राम पंचायत में नही आना ज्ञात हुआ तथा कल आने का कह रहा है तब श्री रामकिशोर कानि को गोपनीयता की हिदायत कर निर्देशित किया कि आप वहीं संदिग्ध आरोपी के आने इंतजार में रूकने का कहा गया। दिनांक 16-12-2025 वक्त- 5.00 पी.एम.इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री रामकिशोर कानि. ने जरिये वाटसएप कॉल कर अवगत करवाया कि मै कार्यालय से रवाना होकर केतु मदा पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर परिवादी से मिला। तत्पश्चात परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड ने अपने ने अपने स्तर पर पता किया गया तो संदिग्ध आरोपी ग्राम पंचायत में नही आना ज्ञात हुआ तथा कल आने का कह रहा है तब श्री रामकिशोर कानि को गोपनीयता की हिदायत कर निर्देशित किया कि आप वहीं संदिग्ध आरोपी के आने इंतजार में रूकने का कहा गया। दिनांक 17-12-2025 वक्त- 4.50 पी.एम इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री रामकिशोर कानि. ने जरिये वाटसएप कॉल कर बताया कि मै कार्यालय से ग्राम सरहद केतु मदा के लिए दिनांक 15-12-2025 को बस से रवाना होकर परिवादी से सम्पर्क कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने हेतु गया था दिनांक 15,16-12-2025 को ग्राम केतु मदा

उपस्थित नही होने से रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता नही हो पाई थी आज परिवादी ने अपने स्तर पर पता किया तो संदिग्ध आरोपी ग्राम पंचायत केतु मदा मे होना ज्ञात होने पर मैने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर अपने पास से निकालकर चालु कर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड को सुपुर्द कर अपनी उपस्थित छुपाते हुए इंतजार किया। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड मेरे पास आया जिस पर परिवादी से मैने डिजिटल वायस रिकॉर्डर लेकर स्विच ऑफ कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने मेरे को बताया कि मेरी ओर श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी की मेरे कार्य से सम्बन्धित वार्ता हो गई है जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस द्वारा श्री रामकिशोर को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर लेकर परिवादी को गोपनीयता की हिदायत कर वहीं छोड कर कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की। समय- 8.00 पी.एम.इस समय श्री रामकिशोर कानि कार्यालय हाजा पर उपस्थित आया एवं मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्विच ऑफ सुदा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया। रिकार्डर प्राप्त कर अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया। आईंदा रिकॉर्ड वार्ता को सुनने का निर्णय लिया गया। दिनांक 18-12-2025 वक्त- 9.00 पी.एम. इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमे परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को सुनने हेतु उक्त रिकॉर्डर को ऑन् कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी व सदिग्ध आरोपी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन से सम्बन्धित स्पष्ट वार्ता नही होना पाई जाने से आईंदा पुन रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मूल मेमोरी कार्ड अपने पास सुरक्षित रखा। आईंदा फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 14.01.2026 वक्त- 2.00 पी.एम. इस समय परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष कार्यालय में उपस्थित होकर बताया कि अब संदिग्ध आरोपी मेरे रिश्वत राशि मांग वार्ता हो सकती है। वक्त- 2.30 पी. एम. इस समय मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस को कार्यालय कक्ष् में तलब कर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह व श्री महेश श्रीमाली का आपस में परिचय करवाया जाकर परिवादी का प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज एवं परिवादी व सदिग्ध आरोपी के मध्य पूर्व हुई रिश्वती राशि रूबरू वार्ता का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मूल मेमोरी कार्ड मेरे पास सुरक्षित रखा था जिसको अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु निर्दशित किया गया। वक्त- 2.35 पी.एम. इस समय मन महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मूल मैमोरी कार्ड एवं परिवादी को लेकर अपने काया्र्लय कक्ष में उपस्थित आया। परिवादी श्री सुरेन््द्र सिंह राठौड से आवश्यक पुछताछ की जाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता दिनांक 17-12-2025 के मुख्य-मुख्य अंश सुने गये तो परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड व संदिग्ध आरोपी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता स्पष्ट नही होना पाई गई। जिस पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि आज पुन रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता हो सकती है। जिस पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पुन रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाये जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय में पदस्थापित श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को कक्ष में तलब कर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं श्री आमप्रकाश कानि. क आपसी परिचय करवाया जाकर दोनो के मोबाईल नम्बरो का आदान प्रदान करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी एवं श्री ओमप्रकाश कानि डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु करना एवं बंद करने की प्रक्रिया की समझाईश की गई। वक्त- 2.43 पी.एम.इस समय डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मे नया मैमोरी कार्ड डालकर रिकॉर्डर एवं मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर श्री ओमप्रकाश कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड के साथ रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता करवाकर लाने हेतु परिवादी के निजी वाहन से आवश्यक हिदायत के रवाना किया गया। वक्त- 9.30 पी.एम.इस समय श्री ओमप्रकाश कानि. 260 कार्यालय हाजा में उपस्थित आया मन उप अधीक्षक को कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड स्वीच ऑफ सुदा सुपुर्द कर बताया कि मै आपके पास से रवाना होकर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह के निजी वाहन से पंचायत समिति सेखाला पहुंच परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड से सदिग्ध आरोपी से उपस्थिति पता करने हेतु कहा गया परिवादी ने अपने मोबाईल से सदिग्ध आरोपी को कॉल् कर पता कर बताया कि संदिग्ध आरोपी वर्तमान में बाहर है घंटा भर में आने का कहा है जिस पर सदिग्ध आरोपी के इंतजार में गोपनीय रूप से सेखाला उपस्थित रहा। तत्पश्चात एक घंटा बाद परिवादी ने सदिग्ध आरोपी के मोबाईल पर कॉल् कर उपस्थित पता मुझे बताया कि आरोपी अभी सेखाला बस स्टेण्ड पर उपस्थित है जिस पर मैने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन परिवादी को सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता कर लाने हेतु रवाना किया तथा मै वही पर गोपनीय रूप से उपस्थिति छुपाते हुए खडा रहा कुछ समय पश्चात परिवादी मेरे पास उपस्थित आया तथा डिजिटल वॉयस रिकॉर्ड मुझे सुपुर्द किया जिसको मैने स्वीच ऑफ कर मेरे पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने बताया कि मेरे व सदिग्ध आरोपी के मध्य मेरे कार्य से सम्बन्धित वार्ता हो गई है। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को ऑन कर रिकॉर्डिग वार्ता को सुना गया तो संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी से 60000 रूपये रिश्वती राशि मांग कर वार्ता के दौरान 15,000/- लेना पाया गया। एवं संदिग्ध आरोपी द्वारा 15-20 दिन में रिश्वती राशि देने का कहना पाया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा गया

एवं उक्त रिकॉर्ड वार्ता की आईंदा परिवादी को तलब कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने का निर्णय लिया गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। दिनांक 28.01.2026 वक्त-11.00 ए.एम.इस समय मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री ओमप्रकाश कानि से परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड को कॉल कर रिश्वती राशि की व्यवस्था कर आज ही कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबंद किया गया। वक्त- 2.30 पी.एम.इस समय पूर्व से पाबंद सुदा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड कार्यालय में उपस्थित आया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे अन्य कार्य हो जाने से रिश्वती राशी की व्यवस्था नही हो पाई केवल 15,000/- रूपये की ही व्यवस्था हो पाई है, जो मै साथ लेकर आया हॅु वक्त 2.50 पी.एम. इस समय मन महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान अधिशाषी अभिंयता परियोजना पी.ओ. थर्ड पी.एच.ई.डी. जोधपुर के नाम दो स्वतंत्र गवाह उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय पत्र क्रमांक 146 दिनांक 28.01.2026 तैयार कर श्री ओमप्रकाश कानि. 260 को सुपुर्द कर जरिये सरकारी वाहन मय वाहन चालक लालाराम के रवाना किया गया। वक्त 4.00 पी.एम.इस समय श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260 कार्यालय हाजा में उपस्थित आया व अवगत करवाया कि श्रीमान अधिशाषी अभिंयता परियोजना पी.ओ. थर्ड पी.एच.ई.डी. जोधपुर दो स्वतत्र गवाह को लेकर कार्यालय में उपस्थित आया। जिस पर मन महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस ने अपना परिचय दोनो गवाहान को दिया जाकर उनका बारी-बारी से परिचय पुछने पर श्री सुन्दर लाल गोदारा पुत्र श्री खेमा राम गोदारा जाति जाट उम्र 33 वर्ष निवासी सालंवा कलां पुलिस थाना डांगियावास जिला जोधपुर हाल कनिष्ठ सहायक कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग क्षेत्र प्रथम जोधपुर मोबाईल नम्बर एवं श्री बालु राम पुत्र श्री केरा राम चौधरी जाति जाट उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम गंगाणा पुलिस थाना बोरानाडा जिला जोधपुर हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय अधिशाषी अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग परियोजना खण्ड तृतीय जोधपुर मोबाईल नम्बर होना बताया। वक्त 4.20 पी.एम.इस समय कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड जो कार्यालय में उपस्थित है जिनका मन उप अधीक्ष्ाक पुलिस द्वारा दोनो स्वतत्र गवाहान से आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर निकालकर कर चालु कर उसमें परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड एवं संदिग्ध आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी के मध्य हुई दिनांक 14.01.2026 को हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के संबंध में परिवादी से पुछताछकर तसल्ली की गई एवं दोनो उक्त गवाहान ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट अपने-अपने दिनांकित हस्ताक्षर किये। वक्त 4.40 पी.एम.इस समय मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड को रिश्वती राशि पेश करने हेत कहा जाने पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड ने आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि 15,000/- रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 30 नोट रूबरू गवाहान के प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नम्बर फर्द पेशकशी में अंकित किये गये तत्पश्चात श्री अचला राम हैड कानि. 167 से मालखाना से फिनाफथलीन की शीशी मंगवाई जाकर उक्त रिश्वती राशि 15,000/- रूपये प्रचलित भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के नोट श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर उक्त नोटो को एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड की जामा तलाशी गवाह श्री सुन्दर लाल गोदारा से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अतिरिक्त कोई आपतिजनक राशि/अन्य सामान नहीं रहने दिया गया। उक्त नोट परिवादी के पहनी हुई पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से रखवाये गये। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड को हिदायत दी गई की रिश्वती राशि को रास्ते में हाथ ना लगाये व आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात अपने दोनो हाथ सिर पर दो बार आगे से पिछे की तरफ फेरकर या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर कॉल/मिस कॉल् कर गोपनीय इशारा करे। गवाहान व ट्रेप पार्टी को भी आरोपीगण व परिवादी के मध्य होने वाली बातचीत व लेन-देन को यथा सम्भव सुनने व देखने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के हाथ धोवन की कार्यवाही की जाकर दृष्टांत फिनोफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की प्रतिक्रिया को भली भांति समझाया गया। इसके बाद दृष्टात के काम में लियेगये ट्रेप सामग्री किट को साफ पानी व साबुन से धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। जिस पुराने अखबार पर राशि रख कर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था उस अखबार को रूबरू गवाहान श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से जलवाया जाकर नष्ट कराया गया इसके बाद परिवादी को छोडकर समस्त ट्रेप पार्टी की आपस में तलाशी लिवाकर किसी के पास कोई आपतिजन्नक सामग्री नही रहने दी गई। सभी के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये । श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को फिनोफथलीन पाडर की शीशी सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई जाकर कनिष्ठ सहायक को कार्यालय में रहने की हिदायत दी गई्ा उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 5.50 पी.एम.इस समय परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड ने अपने स्तर पर आरोपी की उपस्थिति पता कर बताया कि आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम केतु मदा में उपस्थित नही है एवं आज नही मिलेगा कल दिनांक 29.01.2026 को मिल सकता है जिस पर ट्रेप कार्यवाही कल दिनांक 29.01.2026 को रखने का निर्णय लिया जाकर रिश्वती राशि जो

परिवादी के दाहिनी जेब में रखवाई गई थी जिसे स्वतंत्र गवाह श्री सुन्दर लाल गोदारा से निकलवाई जाकर सुरक्षित अलमारी में रखवाई जाकर अलमारी को लॉक करवाई जाकर अलमारी की चाबी मन उप अधीक्षक पुलिस ने अपने पास रखी । वक्त 6.00 पी.एम. इस समय मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कल दिनांक 29.01.2026 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन होने से स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता की हिदायत कर कल दिनांक 29.01.2026 को वक्त 9.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने एवं परिवादी को जैसलमेर रोड से आगे कुई ग्राम के आसपास गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिलने की हिदायत कर रूखस्त किया गया एवं ब्यूरो जाब्ता को भी 9.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया गया। दिनांक 29.01.2026 वक्त 10.15 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द षुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री सुन्दरलाल गोदारा कनिष्ठ सहायक व श्री बालूराम चौधरी वरिश्ठ सहायक एवं ब्यूरों स्टाफ उपस्थित आये। वक्त 10.45 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100 एसीबी चौकी जोधपुर से उपस्थित चौकी आयें है। वक्त 11.00 ए.एम. पर ब्यूरों की कार्यवाही की गोपनीयता हेतु प्राईवेट वाहन की आवष्यकता के लिए पूर्व से पाबन्द शुदा श्री अमृत बिश्नोइ मय अपनें वाहन इनोवा आरजे 19 टीए 9985 के सहित उपस्थित आया। जिससे ब्यूरों की कार्यवाही में साथ चलनें हेतु निर्देषित किया गया। वक्त 11.10 ए.एम. पर मन् महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस मय श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 61, श्री भंवरलाल हैड कानि. नम्बर 100, श्री संजय कानि. नम्बर 587, श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446, श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260, श्री रामकिशोर कानि. नम्बर 13, श्री बलराम कानि. नम्बर 252, श्री लालाराम कानि. चालक नम्बर 638 स्वतन्त्र गवाह श्री सुन्दरलाल गोदारा कनिश्ठ सहायक एवं श्री बालूराम चौधरी वरिष्ठ सहायक के एवं श्री लालाराम कानि. चालक नम्बर 638 मय दो निजी वाहन एव चालक श्री अमृत बिष्नोई के ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर, एवं कार्यालय का डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर जिसमें नया मैमोरी कार्ड डाला हुआ एवं दो अन्य मेमोरी कार्ड जिसमें दिनांक 17.12.2025 व दिनांक 14.01.2026 को परिवादी व आरोपी के बीच मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड हो रखी है एवं परिवादी के कार्य से सम्बन्धित पत्रावली एवं रिश्वत राशि 15000 रूपयें रखी हुई का सफेद लिफाफा निजी वाहन संख्या आरजे 19 सीके 5545 के डेस बोर्ड में रखवाकर मय हमराहीयान सहित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी जोधपुर ग्रामीण से जैसलमेंर रोड पर स्थित ग्राम कुई के बिजलीघर की तरफ रवाना हुए। वक्त 03.24 पी.एम. पर हालात इस प्रकार से है कि वक्त 11.10 ए.एम. पर मन् महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी जोधपुर ग्रामीण से रवाना होकर वक्त 12.35 पी.एम. पर जैसलमेंर रोड पर स्थित ग्राम कुई के बिजलीघर के पास पहुचें। जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड अपनें वाहन बोलेरो कैम्पर सहित उपस्थित मिला। परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह की जामा तलाशी गवाह श्री सुन्दर लाल गोदारा कनिष्ठ सहायक से लिरवाई गई तों परिवादी के पास अपनें मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु वगैराह नही पाई गई। इसके बाद स्वतन्त्र गवाह श्री सुन्दरलाल गोदारा कनिष्ठ सहायक से निजी वाहन संख्या आरजे 19 सीके 5545 के डेसबोर्ड सें 15000 रूपयें के सफेद लिफाफे में से राशि निकालकर परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह के पहनी हुई जीन्स पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह को मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि को आरोपी को देनें से पूर्व छुए नही और हाथ भी नही लगाये। आरोपी द्वारा मांगनें पर ही रिश्वत राशि निकालकर देवें। इसके बाद स्वतन्त्र गवाह श्री सुन्दरलाल गोदारा कनिष्ठ सहायक से सफेद लिफाफे को जलवाया गया। इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाह के दोनों हाथ साबुन से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादी के निजी वाहन बोलेरों कैम्पर में श्री भीमंसिह कानि. नम्बर 446 व श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260 को साथ बैठाकर मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के निजी वाहनों से पंचायत समिति सेखाला के पास पहुचें। तीनों निजी वाहन को गोपनीय रूप सें खडा करवाया गया। इसके बाद परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह के निजी वाहन में श्री ओमप्रकाश कानि. 260 एवं श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर जिसमें नया मेमोरी कार्ड डालकर सहित रवाना कर निर्देश दिये गये कि परिवादी को पंचायत समिति सेखाला के लिए रवाना करतें समय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन करके रवाना करे तथा आरोपी व परिवादी के रिष्वत राषि लेन देन वार्ता को सुननें का प्रयास करे। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस षेश हमराहीयान के पंचायत समिति सेखाला के आसपास ही गोपनीय रूप से ंवाहन खडा करवाकर रिश्वत राशि लेन-देन के इन्तजार में मुकीम हुए। तत्पश्चात् कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह पंचायत समिति सेखाला से बिना ईशारा किये हुए मय श्री भीमसिंह कानि. नम्बर 446 व श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260 के मन उप अधीक्षक पुलिस के पास उपस्थित आयें और परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपनें पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात् परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड नें बताया कि अभी पंचायत समिति सेखाला में मिंटीग चल रही है व आरोपी श्री राजेन्द्र अभी मिंटीग में है, इस कारण रिष्वत राषि लेन देन नही हो सका। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान मय तीनों निजी वाहनों के पंचायत समिति सेखाला से बाहर गोपनीय स्थान पर अलग अलग खडे हो गये। मिटींग समाप्त होनें के बाद परिवादी श्री सुरेन्द्रंसिह राठौड को रिष्वत राषि लेन देन हेतु पुनः पंचायत समिति सेखाला में भिजवानें का निर्णय लिया जाकर मिंटीग समाप्त होनें के इन्तजार में मुकीम हुए। समय करीब 3 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड नें मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मैनें गोपनीय रूप सें पता कर लिया है, पंचायत समिति सेखाला में मिटीग समाप्त हो चुकी है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान कें पंचायत समिति सेखाला के आसपास

गोपनीय स्थान पर पहुचे। परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह को उसके निजी वाहन बोलेरो कैम्पर सहित श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260 कें मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर सुपर्द कर रवाना कर श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260 कों हिदायत दी गई कि पंचायत समिति सेखाला के पास पहुचंकर परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर सुपर्द कर रिष्वत राषि लेन देन हेतु रवाना करे। मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के रिष्वत राषि लेन देन के इन्तजार में पंचायत समिति सेखाला के आसपास अपनी उपस्थिति छिपातें हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे/कॉल के इन्तजार में मुकीम हुए। मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री भीमसिंह कानि. कों भी पंचायत समिति सेखाला के बाहर गोपनीय रूप से रिश्वत राशि लेन देन के इन्तजार हेतु श्री ओमप्रकाश कानि. के सहयोग के लिए रवाना किया गया। समय करीब 03.23 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड नें मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल नम्बर पर अपनें मोबाईल नम्बर से कॉल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को रिश्वत राशि लेन देन होनें का बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के निजी वाहन सें पंचायत समिति सेखाला के मुख्य गेट के अन्दर प्रवेश हुआ तों गेट के दाहिनी तरफ परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड खडा मिला। परिवादी नें मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि मेरे से श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी नें रिश्वत राशि 15000 रूपयें मेरे वाहन बोलेरो कैम्पर के पास खडे होकर ले ली। इसके बाद मेरे द्वारा आपकों रिश्वत राशि लेन देन का जरिये मोबाईल फोन कॉल किया। जिस पर श्री ओमप्रकाश कानि. द्वारा मेरे से डिजीटल वॉयस टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ कर अपनें पास रखा। इतनें में ही आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी कों मेरे पर शक हो गया। जिस पर उसके द्वारा रिश्वत राशि मेरे वाहन बोलेरो कैम्पर के पास ही अपनें हाथ से नीचें जमीन पर मिट्टी में गिरा दी। जिस पर श्री भीमसिंह कानि. व श्री ओमप्रकाश कानि. द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र को वाहन बोलेरों कैम्पर के पास ही पकड लिया गया। इतनें में ही आप आ गए। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री बलराम मीणा कानि. नम्बर 252 से सरकारी मोबाईल से विडियोग्राफी चालू करवाकर आरोपी को अपना परिचय दिया कि मेरा नाम महेश श्रीमाली है, मै उप अधीक्षक पुलिस हूं। एसीबी जोधपुर ग्रामीण से हूं। जिस पर मैनें आरोपी को उसका नाम पूछा तों आरोपी नें अपना नाम राजेन्द्र बताया। जिस पर मेरे द्वारा पूछा कि आप क्या हो। जिस पर आरोपी श्री राजेन्द्र नें मन् उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि सर ये फोन कर रहे है दो तीन, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पुनः आरोपी श्री राजेन्द्र से पूछा कि आप किस पोस्ट पर हो। जिस पर आरोपी नें कहा कि मै ग्राम सेवक हूं। ग्राम पंचायत सेखाला में। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें आरोपी श्री राजेन्द्र को पूछा कि आपनें किस बात के लिए पैसे लिये। जिस पर आरोपी नें कहा कि पैसे नही लिये। फोन कर रहा है बार बार। जिस पर मन् उप अधीक्षक नें परिवादी की ओर ईशारा कर आरोपी श्री राजेन्द्र सें पूछा कि आप इनकों जानतें हो क्या। जिस पर आरोपी नें कहा कि ये सुबह से फोन कर रहे है, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की ओर ईशारा कर परिवादी का नाम पूछा तों आरोपी नें कहा कि यें सुरेन्द्रं सिह है। पुनः मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी सें पूछा कि किस बात के पैसे लिये। जिस पर आरोपी नें कहा कि पैसें नही लिये। इन्होनें कहा बार बार फोन करतें हो। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें आरोपी श्री राजेन्द्र से कहा कि आप बाहर क्यों आये। जिस पर आरोपी नें कहा कि इनके द्वारा दो तीन फोन कर दिये कि बाहर आओं बाहर आओं। मै तों ट्रेनिंग में था। मै तों अन्दर जा रहा था। जिस पर इन्होने कहा कि बाहर आओं बाहर आओं। आप सारे कैमरें चैक कर लो। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें कहा कि चैक कर लेगे। तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी के निजी वाहन बोलेरो कैम्पर के पास नीचें जमीन पर पडी रिश्वत राशि 15000 रूपयें 500-500 रूपयें के नोट गवाह श्री बालूराम चौधरी सें उठवाकर आरोपी को ब्यूरों जाब्ता की मदद सें पकडवाकर पंचायत समिति सेखाला के प्रशासनिक भवन में प्रवेश हुए। रिश्वत राशि मिट्टी पर पडी होने के कारण धोवन लिया जाना संभव नही होनें के कारण धोवन नही लिया गया। तत्पश्चात् मुख्य गेट के अन्दर श्री चंचल राज शर्मा विकास अधिकारी सेखाला उपस्थित मिले। जिन्हे मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अपना परिचय देकर ट्रेप कार्यवाही हेतु स्थान उपलब्ध करवानें हेतु निवेदन किया गया तों उनके द्वारा वीसी रूम में ब्यूरों को कार्यवाही करनें हेतु अपनी सहमति दी गई। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय ब्यूरों टीम मय आरोपी के वीसी रूम में प्रवेश हुए। इसी दौरान श्री पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रश्टाचार निरोधक ब्यूरों जोधपुर ग्रामीण भी कार्यवाही के सुपरविजन हेतु मौके पर उपस्थित हुए । इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वीसी रूम पंचायत समिति सेखाला में रूबरू स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड के एवं ब्यूरो स्टाफ के समक्ष सरकारी वाहन में से टेaप बाक्स मंगवाकर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। श्री बलराम कानि. नम्बर 252 कों सरकारी मोबाईल फोन सें उक्त हाथ धोवन की कार्यवाही की विडीयोग्राफी करनें हेतु निर्देशित किया गया। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी को अपना परिचय देकर उसका नाम पूछा तों उसनें अपना नाम राजेन्द्र बताया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पूछा कि क्या हो यहां पर जिस पर आरोपी नें कहा कि मै ग्राम सेवक हूं। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा कहा गया कि ग्राम सेवक केतू कला हो । जिस पर आरोपी ने कहा कि हां तत्पश्चात् मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी की ईशारा कर पूछा कि इनको जानतें हो क्या। जिस पर आरोपी नें कहा कि हां। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा पुन आरोपी श्री राजेन्द्र से पुछा गया कि क्या मैटर हुआ था बाहर कैसे गये थे तो आरोपी श्री राजेन्द्र ने कहा कि सर अभी मैं अभी दो मिनट ट्रेनिग में था कि एक

मिनट के लिये बाहर आ जाओ तो मैने कहा कि क्या काम है, दो मिनट बात कि कै कि दो मिनट आ जाओ दो मिनट बाहर आ जाओ तो मैने कहा ठीक है बाहर आ जाता हॅु आते ही मुझे कहा कि पैसे लो पैसे लो तो मैने कहा कि पैसे नही कैमरे लगे हुए है आप रिकोर्ड देख सकते हो तो मन् उप अधीक्षक पुलिस ने कहा कि चैक कर लेगे। उसके बाद आरोपी नें कहा कि पैसे नही लिये। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस नें आरोपी से पूछा कि आपनें पहलें भी पैसे लिये। जिस पर आरोपी नें कहा कि पैसें नही लिये। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस नें कहा कि पहलें भी आपनें पैसे लिये है। किस काम के लिये है। क्या काम बकाया है, कोई बिल बकाया है, जिस पर आरोपी नें कहा कि कोई बिल पैण्डिग नही है। सारा क्लीयर है। इसके बाद मन् उप अधीक्षक पुलिस नें परिवादी से पूछा तों परिवादी नें कहा कि मेटेरियल का बाकी है। जो काम किया हुआ है। मैने पूरा काम कर दिया है। जो काम कर दिया है उसका भी बिल नही बना रहे है। जब तक ये बना कर नही दे जब तक मै इनकों बना कर नही दे सकता। जिस पर परिवादी नें कहा कि मेरे से आज 15000 रूपयें लिये है। कुछ नही कहा। पैमेण्ट लेकर पहलें जेब में रखनें लगा इतनें में साहब को आतें देखा तों सुरेन्द्रसिंह नें कहा कि गाडी में रखों इतनें में आप आ गये। तत्पश्चात् परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड व रूबरू गवाहान व ब्यूरों जाब्ता के रूबरू आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर के हाथ धोवन की कार्यवाही आरम्भ की गई। इसके बाद साफ पानी मंगवाकर प्लास्टिक की एक डिस्पोजल गिलास में भरा गया। इसके बाद श्री ट्रेप बॉक्स में से सोडियम कार्बोनेट की शीशी निकाल कर उक्त डिस्पोजल गिलास के पानी में डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी के दाहिनें हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर शीशीयों पर मार्क आर.एच.-1 व आर.एच.-2 अंकित किया गया। फिर दूसरी प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी मंगवाकर पानी भरवाया गया। उक्त प्लास्टिक गिलास में सोडियम कार्बोनेट का पाऊडर डालकर हिलाया गया तो गिलास के घोल का रंग रंगहीन रहा। जिससे सभी उपस्थितगणो ने रंगहीन होना स्वीकार किया गया। उक्त गिलास के तैयार घोल में आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिससे सभी उपस्थितगणो ने उक्त घोल का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को दो अलग-अलग कॉच की शीशीयों में आधा आधा भरकर शीशीयों पर मार्क एल.एच.-1 व एल एच.-2 अंकित किया गया । इसके बाद दोनों स्वतन्त्र गवाहान द्वारा रूबरू परिवादी एवं ब्यूरों जाब्ता के फर्द पेशकसी में अंकित नम्बरों का मिलान हेतु गवाह श्री सुन्दर राम गोदारा को फर्द पेशकसी सुपर्द कर एवं रिश्वत राशि पूर्व से ही गवाह श्री बालूराम चौधरी के पास मौजूद है, का फर्द पेशकसी के अनुसार उक्त राशि फर्द के मुताबिक 500-500 रूपयें के भारतीय मुद्रा के कुल 30 नोट मूल्य कुल 15,000 रूपयें होना पाई गई। जिनका विवरण निम्न प्रकार हैः- 1.500 रूपये का एक नोट नम्बर 0EW 620521, 2.500 रूपये का एक नोट नम्बर0FU 597593, 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3ST 751809, 4. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6EK 362356, 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5HA 465383, 6. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0MN 357765, 7. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0WB 963536, 8. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2WU 586009, 9. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5SG 897044, 10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9VU 852175, 11. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0GE 594456, 12. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 1QA 574564, 13.500 रूपये का एक नोट नम्बर 0SG 178617, 14. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4HT 167391, 15.500 रूपये का एक नोट नम्बर 1EM 837561, 16. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2FR 636997, 17. 500 रूपये का एक नोट नम्बर1QF 910960 18.500 रूपये का एक नोट नम्बर 3QC 692654, 19.500 रूपये का एक नोट नम्बर 7RU 579171, 20. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4KN 349154, 21. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5CR 629504, 22. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9KT 643307, 23. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4CG 634748, 24. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8CV 417757, 25. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2AR 483861, 26. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2QK 192066, 27. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9BG 257610, 28.500 रूपये का एक नोट नम्बर 2LU112757, 29.500 रूपये का एक नोट नम्बर4EV254139 , 30. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3DE 501971 उक्त भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 30 नोट के कुल राशि 15,000/-रूपये को एक सफेद कपड़े के टुकड़े से सील चिट कर प्रकरण का विवरण अंकित सम्बन्धितगण के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा ब्यूरो लिये गये। आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी की जामा तलाशी गवाह श्री बालूराम चौधरी से लिरवाई गई तों आरोपी के कब्जे से एक मोबाईल फोन सैमसंग कम्पनी का मॉडल एस 20 है, जिसके आईएमईआई नम्बर व मोबाईल में सिम नम्बर एयरटेल कम्पनी की होना पाई गई। दूसरी सिम जिसके नम्बर जियों कम्पनी है। उक्त मोबाईल फोन कार्यवाही में वांछित होनें के कारण कब्जा ब्यूरों लिया गया। परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर के द्वारा रिश्वत राशि मांगने बाबत दिनांक 14.12.2025 को एसीबी चौकी जोधपुर ग्रामीण में उपस्थित होकर रिपोर्ट देना, परिवादी की रिपोर्ट के

परिपेक्ष्य में दिनांक 17.12.2025 व दिनांक 14.01.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह के पैण्डिग बिलों का भुगतान करनें की एवज में कुल बिल का 6 प्रतिशत कमीशन की एवज में 15,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं दिनांक 14.01.2026 को मांग सत्यापन के दौरान ही परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड सें 15000 रूपयें प्राप्त करना, आज दिनांक 29.01.2026 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्रं सिंह सें 15000 रूपयें प्राप्त कर पंचायत समिति सेखाला के मुख्य गेट के अन्दर दाहिनी तरफ परिवादी के निजी वाहन बोलेरो कैम्पर के पास ब्यूरों जाब्ता को देखकर नीचें जमीन पर गिरा देना, जो रूबरू गवाहान के बरामद होना, आरोपी के दोनो हाथो का धोवन हल्का गुलाबी एवं मटमैला प्राप्त होना, रिश्वत राशि फर्द पेशकसी के मुताबिक बरामद होना ईत्यादि के आधार पर अपराध अन्तर्गत अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री राजेन्द्र पुत्र श्री मोहनराम जाति मेघवाल उम्र 36 साल निवासी मण्डोर रेल्वे स्टेशन के पीछे, पैथलाव नाडी मण्डोर जिला जोधपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर का कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुई एवं दौराने कार्यवाही अन्य कोई दस्तावेज, वस्तु कब्जा ब्यूरो नहीं ली गई। श्री राजेन्द्र पुत्र श्री मोहनराम जाति मेघवाल उम्र 36 साल निवासी मण्डोर रेल्वे स्टेशन के पीछे, पैथलाव नाडी मण्डोर जिला जोधपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर को गिरफ्तारी के कारणो से अवगत करवाया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धोवन कार्यवाही पृथक से तैयार कर विस्तृत विवरण अंकित किया जाकर शामिल रंनिग नोट की गई। श्री पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसीबी जोधपुर ग्रामीण मौके पर सुपरविजन हेतु उपस्थित आयें थें, जो बाद कार्यवाही के वापिस जोधपुर के लिए रवाना हो गये। वक्त 08.15 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड के समक्ष घटना स्थल का नक्षा मौका परिवादी की निशादेही पर रूबरू गवाहान के समक्ष श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 61 सें मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा निर्देशानुसार मूर्तिब करवाया गया। बाद नक्षा मौका मूर्तिब कर नक्षा मौका षामिल रनिंग नोट किया गया। वक्त 08.30 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड एवं एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री सुरेन्द्रंसिह राठौड पुत्र श्री कंवरसिंह राठौड जाति राजपूत उम्र 31 साल निवासी केतु मदा तहसील सेखाला जिला जोधपुर एव श्री राजेन्द्र पुत्र श्री मोहनराम जाति मेघवाल उम्र 36 साल निवासी मण्डोर रेल्वे स्टेशन के पीछे पैथलाव नाडी मण्डोंर पुलिस थाना मण्डोंर जिला जोधपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 17.12.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री रामकिशोर कानि. नम्बर 13 द्वारा कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री सुरेन्द्रंसिह राठौड ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर की होना बताया। दोनो आवाजों की पहचान परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड द्वारा की गई। उपरोक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं, को लेपटॉप की मदद से तीन मेमोरी कार्ड सेव कर एक मेमोरी कार्ड को मूल मानते हुए मैमोरी कार्ड पैकेट में डालकर मैमोरी कार्ड पैकेट को एक सफेद कपडे की थेली में डालकर थेली की िसलाई कर शिल्ड मोहर किया गया सफेद कपडे की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त दो डब मेमोरी कार्ड को खुली हालात में ही रहने दिया गया। एक मेमोरी कार्ड आरोपी के लिये एवं एक मेमोरी कार्ड अनुसंधान अधिकारी के तैयार किया गया। उक्त दोनो मेमोरी कार्ड खुली हालत एवं सफेद कपड़े की थैली शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड डाली हुई को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 61 को सुपुर्द किया गया। वक्त 11.00 पी.एम. पर मन् महेश श्रीमाली उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतन्ृत्र गवाहान श्री सुन्दरलाल गोदारा व श्री बालूराम चौधरी, परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड, ब्यूरो जाब्ता श्री अनिल कुमार निरीक्षक पुलिस, श्री भंवरलाल हैड कानि. 100, श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्री संजय कानि. 587, श्री भीमसिंह कानि. 446, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री बलराम कानि. 252, श्री रामकिशोर कानि. नम्बर 13, श्री लालाराम कानि. चालक नम्बर 638 एवं मय ट्रेप बॉक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर एंव ट्रेप सामग्री, लैपटॉप, प्रिन्टर, पानी का कैम्पर एवं कार्यवाही की पत्रावली लेकर तीन निजी वाहन एव चालक अमृत बिश्नोई सहित गिरफ्तार शुदा आरोपी श्री राजेन्द्र पुत्र श्री मोहनराम जाति मेघवाल उम्र 36 साल निवासी मण्डोर रेल्वे स्टेशन के पीछे, पैथलाव नाडी मण्डोंर पुलिस थाना मण्डोर जिला जोधपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर, शील्ड शुदा प्रादर्श आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, रिश्वत राशि 15000 सिल चिट शुदा, आरोपी का मोबाईल

फोन, रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.12.2025 का मूल मेमोरी कार्ड कपडे की थैली में शुल्ड शुदा मय दो मेमोरी कार्ड खुली हालात में मुताबिक फर्दात के हमराह लेकर पंचायत समिति सेखाला सें एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण के लिए रवाना हुए। दिनांक 30.01.2026 वक्त 01.00 ए.एम. पर उपरोक्त फिकरा का रवाना मन् उप अधीक्षक पुलिस समस्त हमराहीयान के एसीबी चौकी जोधपुर ग्रामीण पहुंचा। हालात इस प्रकार है कि पंचायत समिति सेखाला से रवाना होकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बालेसर पहुंचे। जहां पर आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। तत्पश्चात बालेसर से रवाना होकर पुलिस थाना कुडी भगतासनी पहुचकर श्री अचलाराम हैड कानि. को आरोपी को थानें की हवालात में जमा करवानें हेतु निर्देश दिये गये। तत्पश्चात आरोपी को सुरक्षित थानें की हवालात में सुपर्द कर मय हमराहीयान के एसीबी चौकी जोधपुर ग्रामीण पहुचा। आरोपी के स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट कों शामिल रंनिग नोट किया गया। प्रकरण से संबंधित रिश्वत राशि शील्ड शुदा 15,000 रूपयें, आरोपी का मोबाईल फोन मय दो सिम के, आरोपी के दोनों हाथों के धोवन के शील्ड शुदा मार्क आरएच 1, आरएच 2, एलएच 1, एलएच 2, मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 17.12.2025 का मेमोरी कार्ड का शील्ड शुदा पैकेट व दो मेमोरी कार्ड खुली हालात में मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 61 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉडर के दो मैमोरी कार्ड जिसमें जिसमें दिनांक 14.01.2026 को हुई मांग सत्यापन वार्ता का एक मेमोरी कार्ड व दूसरे मेमोरीकार्ड जिसमें दिनांक 29.01.2026 को परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड व आरोपी श्री राजेन्द्र हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू वार्ता डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है, को मन् उप अधीक्षक पुलिस नें अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में अलमारी में रखा गया। जिसकी फर्द ट्रासक्रिप्ट आईन्दा तैयार की जावेगी। स्वतन्त्र गवाहान तथा परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड को प्रातः 10.30 ए.एम. पर कार्यालय में आने की हिदायत देकर रूखस्त किया गया। वक्त 10.15 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री सुन्दरलाल गोदारा कनिष्ठ सहायक व श्री बालूराम चौधरी वरिष्ठ सहायक एवं ब्यूरों स्टाफ उपस्थित आये। वक्त 10.25 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड कार्यालय पर उपस्थित आये। वक्त 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड एवं एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री सुरेन्द्रं सिह राठौड पुत्र श्री कंवरसिंह राठौड जाति राजपूत उम्र 31 साल निवासी केतु मदा तहसील सेखाला जिला जोधपुर एव श्री राजेन्द्र पुत्र श्री मोहनराम जाति मेघवाल उम्र 36 साल निवासी मण्डोर रेल्वे स्टेशन के पीछे पैथलाव नाडी मण्डोंर पुलिस थाना मण्डोंर जिला जोधपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 14.01.2026 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अलमारी से सुरक्षित निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260 द्वारा कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उसमें कॉपी कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री सुरेन्द्रं सिंह राठौड ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर की होना बताया। दोनो आवाजों की पहचान परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड द्वारा की गई। उपरोक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं, को लेपटॉप की मदद से दो मेमोरी कार्ड में डाली गई। फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की अनुलिपि एवं मेमोरी कार्ड में डालनें के बाद रिकार्ड वार्ताओं का मूल मैमोरी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में से निकालकर एक मैमोरी कार्ड पैकेट में डालकर उक्त मैमारी कार्ड पैकेट को सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया गया। सफेद कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त दोनो मेमोरी कार्ड को खुली हालत में ही रहने दिया गया। एक मेमोरी कार्ड आरोपी के लिये एवं एक मेमोरी कार्ड अनुसंधान अधिकारी के तैयार किया गया। उक्त दोनो मेमोरी कार्ड खुली हालत एवं सफेद कपड़े की थैली में शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 61 को सुपुर्द किया जाकर मालखाना में जमा करवाया गया। वक्त 12.30 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड एवं एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहन की उपस्थिति में परिवादी श्री सुरेन्द्रं सिंह राठौड पुत्र श्री कंवरसिंह राठौड जाति राजपूत उम्र 31 साल निवासी केतु मदा तहसील सेखाला जिला जोधपुर एव श्री राजेन्द्र पुत्र श्री मोहनराम जाति मेघवाल उम्र 36 साल निवासी मण्डोर रेल्वे स्टेशन के पीछे पैथलाव नाडी मण्डोंर पुलिस थाना मण्डोंर जिला जोधपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर के मध्य दिनांक 29.01.2026 को हुई रिश्वत राशि वक्त लेन देन रूबरू वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड है, उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर को मन् उप अधीक्षक पुलिस ने सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर उक्त वार्तालाप को दोनो स्वतंत्र गवाहान, परिवादी की उपस्थिति में रिकॉर्ड वार्ता को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री ओमप्रकाश कानि. नम्बर 260 द्वारा कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर उसमें कॉपी

कर उक्त रिकॉर्ड वार्तालापों को रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन-सुन कर फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता तैयार की जाकर फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में एक आवाज परिवादी श्री सुरेन्द्रं सिंह राठौड ने अपनी व दूसरी आवाज आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर की होना बताया। दोनो आवाजों की पहचान परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड द्वारा की गई। उपरोक्त वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड में रिकार्ड हैं, को लेपटॉप की मदद से दो मेमोरी कार्ड में डाली गई। फर्द ट्रान्सक्रिफ्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता की अनुलिपि एवं मेमोरी कार्ड में डालनें के बाद रिकार्ड वार्ताओं का मूल मैमोरी को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में से निकालकर एक मैमोरी कार्ड पैकेट में डालकर उक्त मैमारी कार्ड पैकेट को सफेद कपड़े की थैली में डालकर थैली की सिलाई कर शिल्ड मोहर किया गया। सफेद कपड़े की थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त दोनो मेमोरी कार्ड को खुली हालत में ही रहने दिया गया। एक मेमोरी कार्ड आरोपी के लिये एवं एक मेमोरी कार्ड अनुसंधान अधिकारी के तैयार किया गया। उक्त दोनो मेमोरी कार्ड खुली हालत एवं सफेद कपड़े की थैली शील्ड शुदा मैमोरी कार्ड डाली हुई को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. नम्बर 61 को सुपुर्द किया गया। वक्त 02.30 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही के दौरान बरामदगी रिश्वत राशि की बलराम कानि 252. से सरकारी मोबाईल फोन के मैमोरी कार्ड में विडियोग्राफी की गई थी, रूबरू गवाहान व परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड के समक्ष उक्त सरकारी फोन से मेमोरी कार्ड को बाहर निकालकर लेपटॉप के माध्यम से उक्त मेमोरी कार्ड को मेमोरी कार्ड रीडर सें लेपटॉप में जोडकर रिकॉर्ड शुदा विडियो की रिकॉर्डिग कों दो मेमोरी कार्ड में कॉपी किये गये। तत्पश्चात मूल मैमोरी कार्ड को एक मेमोरी कार्ड पैकेट में डालकर पैकेट को एक सफेदकपडे की थैली में डालकर थैली को षील्ड किया गया। थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा ब्यूरों लिया गया। उक्त शील्ड शुदा मेमोरी कार्ड व दोनों डब मेमोरी कार्ड को मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को जमा मालखाना करवाया गया। अब तक की कार्यवाही सें परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड द्वारा आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर के द्वारा रिष्वत राषि मांगने बाबत दिनांक 14.12.2025 को एसीबी चौकी जोधपुर ग्रामीण में उपस्थित होकर रिपोर्ट देना, परिवादी की रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में दिनांक 17.12.2025 व दिनांक 14.01.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह के पैण्डिग बिलों का भुगतान करनें की एवज में कुल बिल का 6 प्रतिशत कमीशन की एवज में 15,000 रूपये रिष्वत राषि की मांग करना एवं दिनांक 14.01.2026 को मांग सत्यापन के दौरान ही परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड सें 15000 रूपयें प्राप्त करना, आज दिनांक 29.01.2026 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन के दौरान आरोपी श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्रं सिंह सें 15000 रूपयें प्राप्त कर पंचायत समिति सेखाला के मुख्य गेट के अन्दर दाहिनी तरफ परिवादी के निजी वाहन बोलेरो कैम्पर के पास ब्यूरों जाब्ता को देखकर नीचें जमीन पर गिरा देना, जो रूबरू गवाहान के बरामद होना, आरोपी के दोनो हाथो का धोवन हल्का गुलाबी एवं मटमैला प्राप्त होना, रिश्वत राशि फर्द पेशकसी के मुताबिक बरामद होना ईत्यादि के आधार पर अपराध अन्तर्गत अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रमाणित पाया गया है। अतः श्री राजेन्द्र ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित है। (महेश श्रीमाली) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेश श्रीमाली, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री राजेन्द्र पुत्र श्री मोहनराम जाति मेघवाल उम्र 36 साल निवासी मण्डोर रेल्वे स्टेशन के पीछे, पैथलाव नाडी मण्डोंर पुलिस थाना मण्डोंर जिला जोधपुर हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत केतु मदा पंचायत समिति सेखाला जिला जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री किशन सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जोधपुर मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 547 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,राजस्थान, जयपुर । क्रमांक 165-68 दिनांक 01.02.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर 2- मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जोधपुर 3- उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर रेंज 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KISHAN SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 01/02/2026 20:46:06

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)